सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 936 राँची, सोमवार, 4 नवम्बर, 2019 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2019

संचिका संख्या-02/भू०अ०प०नि० (R.S.) लातेहार-31/2018-438, नि०रा०,-- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम **1908** की धारा-**80** और धारा-**81** सह पठित धारा-**127** के उपधारा-(**1**) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना संख्या-एस०ओ०**-1985,** दिनांक-**21** दिसम्बर**, 1976** द्वारा पलामू जिलान्तर्गत (पूर्व अनुमंडल लातेहार सम्प्रति लातेहार जिला) के सभी नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सात अंचलों का स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़नेवाले सभी जमीनों का भू-सर्वेक्षण करने और उसके संबंध में एक अधिकार अभिलेख संबंधी अधिसूचना निर्गत था ।

2. उक्त अधिसूचना के आलोक में पलामू जिलान्तर्गत (सम्प्रति लातेहार जिला) के सात अंचलों के ग्रामों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम**, 1908** की धारा **83 (2)** के अन्तर्गत बन्दोबस्त कार्यालय**,** पलामू स्तर से **ROR** (भू-अभिलेख) का अंतिम रूप से कृत एवं विभिन्न वर्ष-**1987** से **1998** तक प्रकाशित अधिसूचना के आलोक में अधिसूचित ग्रामों को झारखण्ड गजट असाधारण अंक में अधिसूचना संख्या-**424** दिनांक-**05** अगस्त**, 2005** द्वारा प्रकाशित किया गया**,** जो निम्नवत है :-

क्र०सं०	अचंल का नाम	ग्राम की संख्या	बन्दोबस्त कार्यालय स्तर से ROR (भू-अभिलेख) का अंतिम प्रकाशन की तिथि
1	बालूमाथ	174	वर्ष- 1990 से 1991
2	बरवाडीह	80	वर्ष- 1988 से 1989
3	महुआटॉड	105	वर्ष- 1992
4	चन्दवा	85	वर्ष- 1992
5	मनिका	96	वर्ष- 1989 से 1990
6	गारू	67	वर्ष- 1987
7	लातेहार	166	वर्ष- 1993 से 1998

3. कंडिका-2 में उल्लिखित लातेहार जिला के सातों अंचलों में भू-सर्वेक्षण (**Survey**) के कार्य अंतिम रूप से कृत एवं प्रकाशित अधिसूचित ग्रामों के **"**रिविजनल सर्वे**"** त्रुटिपूर्ण होने के कारण रैयतो एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज शिकायत के मद्देनजर लातेहार जिला के अंतिम प्रकाशित सातों अंचलों के राजस्व ग्रामों का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-98 के तहत् निहित प्रावधान के आलोक में पुनः भू-सर्वेक्षण (**Re-Survey**) का कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

4. अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-98 के तहत् अधिकार-अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के प्रमाण-पत्र की तारीख से पन्द्रह वर्षो की कालावधि की समाप्ति पश्चात् पुनः भू-सर्वेक्षण (**Re-Survey**) का कार्य प्रारम्भ करने का प्रावधान किया गया है ।

5. उक्त आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-25.10.2019 को हुई बैठक में मद सं0-12 में लातेहार जिला का अंतिम प्रकाशित 07 (सात) अंचलों के राजस्व ग्रामों का पुनः भू-सर्वेक्षण (**Re-Survey**) का कार्य प्रारम्भ कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसके आलोक में :-

(I) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-80 और धारा-81 सह पठित धारा-127 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1985, दिनांक-21 दिसम्बर, 1976 द्वारा झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से लातेहार जिला के सात (07) अंचलों यथा- बालूमाथ, बरवाडीह, महुआटॉड, चन्दवा, मनिका, गारू एवं लातेहार में कराये गए सर्वेक्षण को स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़नेवालों सभी जमीनों का पुनः भू-सर्वेक्षण (**Re-Survey**) कराया जाय और उनके संबंध में एक अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेगा, जिसमें जिले के अन्तर्गत अवस्थित रेलवे एवं सरकारी भूमि भी सम्मिलित है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जायेगा, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XVI, 1927) के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित है और वे क्षेत्र जो नगर निगम/नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अन्तर्गत आते हैं ।

(II) उक्त सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख में अभिलेखित की जाने वाली विशिष्टयाँ निम्न रूप से होगी :-

(क) प्रत्येक भू-धारी या दखलकार का नाम ।

(ख) प्रत्येक अभिधारी (काश्तकार) का वर्ग जैसे, मुण्डारी, खुँटकट्टीदार, कायमी रैयत, दखलकार रैयत, गैर दखलकार रैयत, खुँटकट्टी हक प्राप्त रैयत, दर-रैयत व अन्य।

(ग) परिस्थिति और मात्रा एवं प्रत्येक रैयत तथा दखलकार जिसके अन्तर्गत एक या अधिक सीमा/सीमाओं वाली जमीन हो ।

(घ) अधिकार अभिलेख लिखे जाते समय भुगतान किया जाने वाला लगान, लगान निर्धारण का तरीका, आपसी समझौता, न्यायालय का आदेश व अन्य ।

(ड़) यदि लगान बढ़ा है तो उसका समय और कार्यवाही जिसके तहत् यह बढ़ाया गया है।

(च) काश्त का विशेष शर्त और प्रभाव यदि कोई हो ।

(छ) यदि यह दावा किया जाता है कि कोई जमीन लगान मुक्त है तो लगान का भुगतान हुआ है अथवा नहीं, और अगर लगान का भुगतान नहीं हुआ है तो दखलकार को बिना लगान दिए हुए जमीन रखने का हक है अथवा नहीं, यदि रैयत को यह अधिकार मिला है तो किस अधिकार के तहत् उसे यह मिला है।

(ज) (i) जिस गाँव का अधिकार अभिलेख बन रहा है वहाँ सरकार या रैयत की परती भूमि पर या चरवाही के लिए किसी जमीन पर, मछली मारने या इसी प्रकार के अन्य अधिकार की प्रकृति एवं सीमा।

(ii) किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के अधिकारों के लिए देय राशि।

(झ) जंगल या परती भूमि पर रैयत को कोरकर बनाने का अधिकार।

(ञ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख बन रहा है उससे जुड़ा कोई भोगाधिकार।

(ट) प्रत्येक रैयत और सरकार के अधिकार :-

(i) रैयत के द्वारा कृषि के प्रयोजन के लिए नदी, झील, तालाब, कुआँ और किसी अन्य स्त्रोत से पानी आ सकता है।

(ii) सिंचाई के उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव जिनके द्वारा प्रत्येक खेतिहर के जमीन को पानी की आपूर्ति की जाती है, चाहे इस प्रकार का उपकरण प्रभावित जमीन की सीमा के अन्तर्गत स्थित हो अथवा नहीं।

(ii) उपर्युक्त के अतिरिक्त उल्लिखित क्षेत्रों के अन्तर्गत निम्नांकित प्रविष्टियाँ उनके संगत कॉलम/अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज किया जायगा :-

(क) खुँटकट्टी हक प्राप्त सभी रैयत।

(ख) गाँव का मुखिया या गाँव के समूह का प्रधान, चाहे वे प्रधान के नाम से जाने जाते हों या मानकी-मुण्डा, या अन्य नाम से।

(ग) नाजायज तरीके से हस्तांतरित अनुसूचित जनजातियों की जमीन की पहचान।

(घ) खुँटकट्टी हक प्राप्त रैयत के द्वारा दिए जाने वाले लगान का निर्धारण किया जायगा।

6. वित्त विभागीय परामर्श के आलोक में **Re Survey** पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना तत्क्षण संभव नहीं है । अतएव वित्त विभागीय परामर्श का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही रिसर्वे का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की कंडिका-**5** कंडिका-**(II)** क्लॉज (ख) और (झ) को लेकर उन क्षेत्रों का अधिकार अभिलेख तैयार नहीं किया जाएगा जो उन क्षेत्र के दायरे में आते हैं जो कंडिका-**1** में भारतीय वन अधिनियम, **1927 (**अधिनियम **XVI, 1927)** के मार्फत संरक्षित वन घोषित हैं और वे क्षेत्र जो नगर निगम, नगर निकाय तथा अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों के अन्तर्गत आते है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 936 -- 50